लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश अति आवश्यक

गौतम नगर, भोपाल 462021

ई–मेल sscholarship.dpi@gmail.com

क्रमांक/समग्र/आह.वि./02/2018/468 भोपाल दिनांक 17/12/18

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर म.प्र.
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म.प्र.
3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) म.प्र.
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म.प्र.
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.
9. समस्त सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग म.प्र.
10. समस्त जिला समन्वयक जिला शिक्षा केन्द म.प्र.
11. समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी म.प्र.

विषयः– समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान विषयक।

उपरोक्त विषयांतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 की छात्रवृत्ति वन–क्लिक के माध्यम से वितरित की गई। समेकित छात्रवृत्ति–योजना वर्ष 2017–18 में छात्रवृत्ति वितरण हेतु विद्यार्थियों के त्रुटिपूर्ण/असत्यापित बैंक खातों को डी.डी.ओ के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाकर निर्देशित किया गया था कि संकुल प्राचार्य/स्वीकृतकर्ता अधिकारी समस्त असत्यापित बैंक खातों की जॉच एवं आवश्यकतानुसार संशोधन कर पुनः बैंक खाते सत्यापित करे। बार–बार निर्देश दिए जाने के उपरांत भी विद्यार्थियों के खाते त्रुटिपूर्ण/निष्क्रिय/विसंगतिपूर्ण होने एवं वन–क्लिक के उपरान्त छात्रवृत्ति स्वीकृत किए जाने के कारण सत्र 2017–18 में स्वीकृत समस्त छात्रवृत्तियों की राशि विद्यार्थियों के खाते में अंतरित नही की जा सकी। अतः वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति वर्ष 2016–17 की प्रकिया अनुसार की जाएगी। वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति वितरण हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाना हैः–

1. वर्ष 2017–18 के छात्रवृत्ति वितरण हेतु NIC द्वारा लंबित विद्यार्थियों की सूची संकुल प्राचार्य के लॉगिन पर एवं विद्यार्थियों के योजनावार देयक समग्र शिक्षा पोर्टल पर जनरेट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई हैं।
2. लंबित छात्रवृत्ति वाले विद्यार्थियों के योजनावार देयक संकुल प्राचार्य/स्वीकृतकर्ता अधिकारी शा.उ0मा0विद्यालय (SSDDO) द्वारा समग्र शिक्षा पोर्टल पर जनरेट कर भुगतान हेतु विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/आहरण संवितरण अधिकारी को प्रेषित किए जाएंगे जो छात्रवृत्ति के योजनावार देयक कोषालय में प्रस्तुत कर सीधे हितग्राही के खाते में छात्रवृत्ति राशि भुगतान कराएंगे।
3. संकुल प्राचार्य द्वारा प्रत्येक छात्रवृत्ति देयक के साथ यह प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया जायेगा कि**"प्रस्तुत देयक मे सम्मिलित विद्यार्थियों के बैंक खातों का सत्यापन कर लिया गया है एवं किसी भी विद्यार्थी को वर्ष 2017–18 की छात्रवृत्ति का पात्रता अनुसार प्रथमवार ही भुगतान किया जा रहा है।"**
4. विकास खंड शिक्षा अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रमाणीकरण के साथ प्राप्त देयको का परीक्षण कर देयक कोषालय मे प्रस्तुत कर हितग्राही छात्र के खाते मे छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यार्थी को पूर्व में वर्ष 2016–17 की छात्रवृत्ति प्राप्त नही हुई।
5. **छात्रवृत्ति देयकों पर अंकित बजटशीर्षों में किसी भी तरह का उपरिलेखन अंकन अथवा संशोधन न करें।**

वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति का शतप्रतिशत भुगतान दिनांक 20.12.2018 के पूर्व किया जाना सुनिश्चित करें। वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति भुगतान की योजनावार जानकारी संलग्न प्रपत्र में प्रमाणीकरण के साथ दिनांक 24.12.2018 तक अनिवार्यतः गूगल ड्राइव पर प्रविष्ट किया जाना एवं हस्ताक्षरित प्रति संचालनालय के ई–मेल sscholarship.dpi@gmail.com पते पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त व्यवस्था वर्ष 2017–18 की लंबित छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु रहेगी। नवीन शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

क्रमांक/समग्र/आह.वि/02/2018/469
भोपाल, दिनांक 7/12/18

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. प्रमुख सचिव आदिमजाति कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. आयुक्त अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/आदिमजाति कल्याण विभाग की ओर भेजकर उक्तानुसार व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु अपने अधीनस्थ कार्यालय को निर्देश प्रेषित किए जाने का अनुरोध है।
5. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल ।
6. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी एन.आई.सी विध्याचंल भवन भोपाल।
7. श्री सुनील जैन, तकनीकी निदेशक एन.आई.सी विध्याचंल भवन भोपाल।

आयुक्त,
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

Lambit 17-18

समेकित छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष 2017-18 की स्वीकृति, वितरण एवं लंबित की जानकारी प्रपत्र-1

जिला:-............

स.क्र	योजना क्रमांक एवं नाम	वर्ष 2017-18 की छात्रवृत्ति स्वीकृति		वन क्लिक अंतर्गत मार्च 2018 तक वितरित छात्रवृत्ति		वन क्लिक मे लंबित विद्यार्थियों को देयक द्वारा वितरित छात्रवृत्ति		शेष लंबित छात्रवृत्ति (2017-18)	
		छात्र संख्या	राशि	छात्र संख्या	राशि	छात्र संख्या	राशि	छात्र संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3-5+7)	10=(4-6+8)
1	1.1 - सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना							0	0
2	1.2 - सुदामा प्री मैट्रिक योजना							0	0
3	1.3 - स्वामी विवेकानन्द पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना							0	0
4	1.4 - सुदामा शिष्यवृत्ति योजना							0	0
5	1.6 - मृत/ अपंग सेवानिवृत्त शास.कर्मचारियों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति योजना							0	0
6	1.7 - पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति							0	0
7	1.8 - इकलोती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति							0	0
8	2.1 - राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति							0	0
9	2.1.1 - राज्य शासन अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (6-10)							0	0
10	2.2 - प्री मेट्रिक SC							0	0
11	2.3 - पोस्ट मेट्रिक SC							0	0
12	2.5 - सफाई एवं जोखिम पूर्ण कार्य छात्रवृत्ति (अस्वच्छ धंधा छात्रवृत्ति)							0	0
13	2.6 - अनु.जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना							0	0
14	3.1 - राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति							0	0
15	3.1.1 - राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (6-8)							0	0
16	3.1.2 - राज्य शासन अनु. जनजाति छात्रवृत्ति (9-10)							0	0
17	3.2 - प्री मेट्रिक ST							0	0
18	3.3 - पोस्ट मेट्रिक ST							0	0
19	3.5 - अनु. जन जाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना							0	0
20	4.1 - राज्य छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग							0	0
21	4.1.1 - राज्य छात्रवृत्ति विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग (6-10)							0	0
22	4.2 - पोस्ट मेट्रिक विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति वर्ग							0	0
23	4.4 - विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना							0	0
24	5.1 - राज्य शासन पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति							0	0
25	5.2 - पोस्ट मेट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति							0	0
26	8.1 - निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना							0	0
योग								0	0

टीप- उक्त शालावार ,विकासखंडवार जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय मे संकलित कर संधारित करे। तथा जिले की जिलेवार एकजाई जानकारी प्रेषित करें।

जिला शिक्षा

अधिकारी

हस्ताक्षर